संख्या-240 /22-4-2010-48(45)/95टी.सी.-5

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 12 मई,2010

विषयः- केन्द्रीय कारागार बरेली एवं नैनी में स्थापित कम्बल उद्योग में प्रयोज्य गिज्जा ऊन के क्रय हेतु अनुमोदन।

महोदय,

महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-29-12-2009 में की गयी संस्तुतियों एवं उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0-691/उद्योग-6/09 दिनांक-08.01.2010 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार बरेली एवं नैनी में स्थापित कम्बल उद्योग के लिये "Mixed long staple (Gizza) soft quality (Beawer or Bekaneri) free from trace of course and pulled and kempy wool with minimum 20% white and remaining black wool suitable for making Jail barreks blankets. Quality of wool fibre diametre should be average 41 microns. The prescribed loss on machine carding should not be more than 25%" मानक की 1082 कुन्तल (दस सौ बयासी कुन्तल) गिज्जा ऊन का क्रय रू0-35.00 प्रति किलोग्राम (वैट/सीएसटी एवं समस्त प्रकार के कर सहित तथा एफ.ओ.आर.जेल गेट) की दर पर एवं "soft and long staple white wool Bekaneri free from trace of course, pulled and kempy suitable for making the Jail hospital blankets. Quality of wool fibre diametre should be average 41 microns. The prescribed loss on machine carding should not be more than 25%" मानक की 60 कुन्तल (साठ कुन्तल) सफेद ऊन का क्रय रू0-97.00 प्रति किलोग्राम (वैट/सीएसटी एवं समस्त प्रकार के कर सहित तथा एफ.ओ.आर.जेल गेट) की दर पर मेसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, ऊल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट, महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश से किये जाने हेतु कुल रू0-43,69,000.00 (रू0-तेतालीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है :-

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति,सामग्रीक्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं-2177/एल/18-7-94-151(एस.पी)/82दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस.पी.)/86 दिनांक-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुये किया जायेगा ।

ख- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 का होगा ।

PTO

ग- आपूर्ति कर्ता फर्म एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा ।

घ- प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्नहिल रोड इलाहाबाद-211001 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी ।

ङ- क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2011 तक सुनिश्चित किया जाय तथा उपयोग की वित्तीय भौतिक त्रैमासिक रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

छ- आपूर्ति की गयी गिज्जा ऊन की लाट को खोलकर मिलावटी तत्वों (वेजीटेबिल एण्ड फोरेन मटेरियल्स) को निकालते हुए ऊन को साफ करके इसमें से रेन्डम आधार पर निकाली गयी 50 किलोग्राम ऊन का टेस्ट कार्डिंग मशीन पर तीन बार किया गया जायेगा। यदि स्पेशीफिकेशन में उल्लेखित सीमा से अधिक कार्डिंग लॉस होता है तो पूरी लाट को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भवदीय,

/

(सत्य प्रकाश पंखा)

अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या-240 (1)/22-4-2010- तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद /कोषाधिकारी, इलाहाबाद/बरेली।

2- सीनियर आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम उ0प्र0 थार्नहिल रोड इलाहाबाद-211001

3- गार्डबुक

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)

अनु सचिव